मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 1990 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 1990 (चैत्र 7, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुधाकर बापट, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार बल्लापुर (गुना) जांच आयोग, गुना, मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 28 अप्रैल, 1989 द्वारा श्री एस. एस. त्रिवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना, शासन के संकल्प सहित पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुधाकर बापट, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंडातराई (बिलासपुर) जांच आयोग, बिलासपुर, मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 28 अप्रैल, 1989 द्वारा न्यायमूर्ति श्री एम. एल. मलिक (सेवा निवृत्त न्यायाधीश), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश) शासन के संकल्प सहित पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मुंशीलाल, सदस्य, मुरैना कृषि उपज मण्डी में कृषकों का माल कम दाम पर क्रय किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, छतरपुर जिले में हत्या एवं लूट की घटनायें होने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री मोतीलाल वोरा/गजराज सिंह, सदस्य, ओबेदुल्लागंज के बरखेड़ा रेंज में शेर का अवैध शिकार होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री ललित जैन, सदस्य, इन्दौर के बम्बई–आगरा राजमार्ग पर वाहन दुर्घटनाओं से मृत्यु होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन करेंगे.

4. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर बोर्ड के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, कृषि मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर बोर्ड के लिये विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

5. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन

श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 4 (1) (च) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मडल में विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

6. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की सभा के लिये राज्य विधान सभा के आठ सदस्यों का निर्वाचन

श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) के अपेक्षानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

निर्धारित समय 3 बजे तक

7. वर्ष 1989-90 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 76 तथा 79 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो सौ अड़तीस करोड़, तैंतीस लाख, ग्यारह हजार, एक सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 (क्रमांक 8 सन् 1990) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :

दिनांक 26 मार्च, 1990.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात.